न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस

मुकदमा नम्बर 21/2022 राजस्व वाद दायर दिनांक 24.03.2022

उनवान

1– श्री गोपी पिता गुलाब ढोली निवासी पहुंना तहसील राशमी जिला चितोडगढ ––वादी

बनाम

1– श्री नाथु पिता चूना कुमावत निवासी नया कुम्हारिया खेडा, गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।

2– श्री हरलाल पिता रायचन्द कुमावत निवासी नया कुम्हारिया खेडा, गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः–

श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता–वादी

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय :: **दिनांक 22.03.2024**

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी सं0 1 व 02 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम गुरलां पटवार हल्का गुरलां, भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 2357 रकबा 5.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2358 रकबा 1.1500 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 7.1000 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक व कब्जे अनुसार उपयोग उपभोग में दर्ज होकर चली आ रही है। किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 ने वादी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात आराजी संख्या 2357 मे से 15 बिस्वा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने वादी की आराजी संख्या 2357 की पश्चिमी मेर पर 01 बीघा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने जबरन कब्जा कर लिया जिस पर वादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के यहा पत्थरगढी करवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 88/2021 निर्णय दिनांक 07.01.2021 में मौके पर पत्थरगढी दिनांक 14.01.2022 को प्रतिवादीगण की उपस्थिति में करवाई गई तथा मौका पर्चा बनाया गया पटवार हल्का एवं गिरदावर द्वारा प्रार्थी/वादी खातेदार को पाबन्द किया गया कि उक्त भूमि का कब्जा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कब्जा पापत करने हेतु पाबन्द किया गया मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया तथा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा उसके पश्चात वादी द्वारा पत्थरगढी के मौके पर्चे की नकल हेतु दिनांक 10.02.2022 को प्रार्थना पत्र मौके पर्चे की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण ने वादी की 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। जिसे मौके से बेदखल किया जाकर वादी को पुनः कब्जा सिपुर्द किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अन्त में वादी ने निवेदन किया कि डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 व 02 के इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम गुरलां प0ह0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा के 2357 रकबा 5.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2358 रकबा 1.1500 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 7.1000 हैक्टेयर भूमि के आंशिक भू भाग 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा होने से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए कब्जा पुनः वादीया को सिपुर्द किया जावे। स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 पारित फरमायी जावे।

वादी का वाद पत्र पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी की ग्राम गुरलां प0ह0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा के 2357 रकबा 5.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2358 रकबा 1.1500 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 7.1000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर आराजी संख्या 2357 रकबा 5.1500 हैक्टेयर मे से प्रतिवादी संख्या 01 का 15 बिस्वा भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 02 का आराजी के पश्चिम मेर पर 01 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द कराये जाने की प्रार्थना की है।

वादी के वादपत्र का अध्ययन एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया। वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीए एक्ट का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

:: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 इस प्रकार है ::

183 कतिपय अतिकमीयो की बेदखली :—

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कोई विपरित बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिकमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है(उस व्यक्ति या उक्त व्यक्तियो के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में "बेदखली" करने के हकदार है) उपधारा 2 उपबंधो के अधिन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देना का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिकमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है तहसीलदार राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956(राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 उपबंधो के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांती परीक्षण किया गया। वादिया के वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 07.09.2021 के अनुसार ग्राम कैलाशपुरी,गुरलां पटवार हल्का गुरलां भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2357 रकबा 5.1500 हैक्टेयर में से 15 बिस्वा भूमि पर नाथू पिता चूना कुमावत इसी आराजी के पश्चिम मेर पर 01 बीघा भूमि पर हरलाल पिता रामचन्द्र कुमावत का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होने से वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी 01 व 02 के स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

(signature)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

:: **आदेश** ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कैलाशपुरी,गुरलां पटवार हल्का गुरलां भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2357 रकबा 5.1500 हैक्टेयर में से 15 बिस्वा भूमि पर नाथू पिता चूना कुमावत का अनाधिकृत कब्जा एवं इसी आराजी के पश्चिम मेर पर 01 बीघा भूमि पर हरलाल पिता रामचन्द्र कुमावत का अनाधिकृत कब्जा होने से अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अतिक्रमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ,आई.ए.एस.

उनवान

1– श्री गोपी पिता गुलाब ढोली निवासी पहुंना तहसील राशमी जिला चितौडगढ। —— वादी

बनाम

1– श्री नाथू पिता चूना कुमावत निवासी नया कुम्हारियाखेडा, गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्री हरलाल पिता रायचन्द कुमावत निवासी नया कुम्हारियाखेडा,गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। ——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 21/2022 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 में – इस वाद में आज तारीख 22.03.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है –

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कैलाशपुरी,गुरलां प0ह0 गुरलां भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 2357 रकबा 5.1500 हैक्टेयर में से 15 बिस्वा भूमि पर नाथू पिता चूना कुमावत का अनाधिकृत कब्जा एवं इसी आराजी के पश्चिम मेर पर 01 बीघा भूमि पर हरलाल पिता रामचन्द्र कुमावत का अनाधिकृत कब्जा होने प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 0 का अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 अतिक्रमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर कब्जा वादी के सिपुर्द करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा